डॉ0 एन0 सरवण कुमार,भा0प्र0से0, जिला दण्डाधिकारी–सह–समाहर्ता, पटना द्वारा दिनांक 01.12. 2013 को पटना जिला के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों का किया गया औचक निरीक्षण की निरीक्षण टिप्पणी।

....

समाहरणलय के जिला योजना शाखा एवं जिला कल्याण शाखा में हाल में हुए अनियमितता को गंभीरता से लेते हुए गहन जांच समाहरणालय से संबंधित प्रत्येक कार्यालय का करने का निदेश देते हुए अनुपालन प्रतिवेदन दिनांक 02.12.2013 तक भेजने का निदेश दिया गया। इस कार्य को पूर्ण करने के उद्धेश्य से दिनांक 01.12.2013 रविवार को भी कार्यालय खोले रहने का आदेश दिया गया।

नौबतपुर अंचल कार्यालयः–

नौबतपुर अंचल करीब 11.45 बजे पूर्वाह्न पहुंचा। औचक निरीक्षण के समय श्री मुकेश कुमार, नोडल पदाधिकारी अनुपस्थित थे। परन्तु अधोहस्ताक्षरी द्वारा सूचित करने के पश्चात थोड़ी देर के बाद वे पहुंचे। कार्यालय के उपस्थित पंजी की जांच की गयी। जांच के समय निम्नलिखित कर्मी अनुपस्थित पाये गये–

कमांक	अनुपस्थित कर्मी का नाम एवं पदनाम	अभियुक्ति
1.	श्री सुबोध कुमार अंचल निरीक्षक	प्राथमिकी दर्ज हो जाने के कारण अनुपस्थित रहते हैं।
2.	श्री राजा प्रसाद यादव, लिपिक	अनुपस्थित
3.	श्री रवि झा, लिपिक	अनुपस्थित
4.	श्री सुरजदेव प्रसाद, अनुसेवी	अनुपस्थित
5.	श्री मती मणी देवी, अनुसेवी	अनुपस्थित
6	श्री राम नरेश प्रसाद, जंजीरवाहक	अनुपस्थित
7.	श्री सुलेन्दु पासवान, चोकीदार	अनुपस्थित
8.	श्री रंजन कुमार, कार्यपालक सहायक	अनुपस्थित
9.	श्री सुरज कुमार अमीन	अनुपस्थित
10	श्री नागेश्वर मोची, अनुसेवी	वर्दी में नही थे

अंचलाधिकारी नौबतपुर को आदेशित किया गया कि वे उपर्युक्त सभी कर्मियों से स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए अपने मंतव्य के साथ अधोहस्ताक्षरी को भेजना सुनिश्चित करेंगे तथा उनके संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त होने तक उनका निरीक्षण की तिथि का वेतन स्थगित रहेगा।

उपस्थित अंचलाधिकारी एवं नाजीर के द्वारा बताया गया कि वर्तमान समय में दो बैंक खाता ही है। जुन 2013 में अनावश्यक रुप से संधारित 09 खाता को बन्द किया गया है। अभी तक 07 चेकबुक में से 04 का जांच पूर्ण कर लिया गया है। इसमें 15 चेक गायब पाया गया है परन्तु वे सब दो साल के पूर्व के है। इसे पूर्व के अवधि का बैंक स्टेटमेन्ट प्राप्त कर जांच करने की आवश्यकता है। इसे अविलम्ब करने का निदेश दिया गया।

बैंक स्टेटमेन्ट अद्यतन दिनांक 29.11.2013 तक प्राप्त कर जांच कर लिया गया है। रोकड़ बही में मासिक सारांश नियमित रूप से तैयार किया जा रहा है। दिनांक 31.10.13 तक मासिक सारांश तैयार किया गया है। इसमें नाजीर अग्रिम के रूप में 91,449/– रूपये दर्शाया गया है। इतनी अधिक राशि नाजीर अग्रिम के रूप में रहने के संबंध में पूछने पर नाजीर श्री जीतेन्द्र झा के द्वारा बताया गया कि उक्त समय पेंशन संबंधी कुछ अधिक राशि रहने का कारण बताया गया। इसी तरह एस0बी0आई0 दानापुर से संबंधित चेक पंजी में अंचलाधिकारी के द्वारा हस्ताक्षर नही किया गया है। इसके बाबजूद भी सामान्य रोकड़ पंजी में इस आंकड़े को लेकर अद्यतन किया गया है जो गलत है। इस संबंध में आवश्यक ध्यान देने की कड़ी चेतावनी अंचलाधिकारी एवं नाजीर श्री जीतेन्द्र झा को दिया गयां।

दिनांक 30.11.13 तक सभी सहायक रोकड़ बही अद्यतन संधारित रहने की बात अंचलाधिकारी एवं नाजीर के द्वारा कही गयी। इस अवधि तक सहायक रोकड़ पंजी का संधारण अन्तिम चरण में की गयी है।

<u>नौबतपुर प्रखण्ड कार्यालय :–</u>

जांच के समय निम्नलिखित कर्मी अनुपस्थित पाये गये–

कमांक	अनुपस्थित कर्मी का नाम एवं पदनाम	अभियुक्ति
1.	मो0 साजिद अफरोज अंसारी, भंडारपाल –लिपिक	अनुपस्थित
2.	श्री जय प्रकाश वर्मा, लिपिक	अनुपस्थित
3.	श्री शैलेन्द्र कुमार, लिपिक	अनुपस्थित
4.	श्री बिन्दा कुंवर, अनुसेवी	अनुपस्थित
5.	श्री मती सुमित्रा देवी, अनुसेवी	अनुपस्थित
6	श्री संजय शर्मा, अनुसेवी	वर्दी में नही थे
7.	श्री सुगमातो, अनुसेवी	वर्दी में नही थे
8.	श्री मती रानी, अनुसेवी	वर्दी में नही थे